राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

(अस्थाई कार्यालय : महिला छात्रावास भवन, बाबूशोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय परिसर, अलवर)

Phone : 0144-2730321, 2730327, 2980046 FAX : 0144-2730321

Website :- www.rrbmuniv.ac.in

क्रमांक :– रात्रऋभमवि / अलवर / अकादमिक–I / 2017 / 4188 दिनांक :– 21.08.2017

प्रबन्ध मण्डल की तृतीय बैठक दिनांक 28.07.2017 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 28.07.2017 शुक्रवार प्रातः 11:00 बजे एमजीबी होटल, अलवर में राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर के प्रबन्ध मण्डल की बैठक हुई। जिसमें निम्नलिखित माननीय सदस्य उपस्थित हुए :–

1. डॉ० भारत सिंह, कुलपति एवं अध्यक्ष
2. श्री धर्मपाल चौधरी, मा0 विधायक, मुण्डावर, (अलवर) एवं सदस्य।
3. श्री जयराम जाटव, मा0 विधायक, अलवर, (ग्रामीण) एवं सदस्य।
4. डॉ० के.एन. मिश्र, प्रख्यात शिक्षाविद एवं सदस्य
5. प्रो० जी.एस. चौहान, प्रख्यात शिक्षाविद एवं सदस्य
6. डॉ० बी.एल. नाटिया, प्रख्यात शिक्षाविद एवं सदस्य
7. श्री राकेश कुमार, ए.डी.एम.–प्रथम, अलवर (प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, वित्त)
8. डॉ० आर.सी. खण्डूरी, प्राचार्य (प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा)
9. श्री आर.सी. अग्रवाल, प्राचार्य एवं सदस्य
10. डॉ० अखिलेश गुप्ता, प्राचार्य एवं सदस्य
11. डॉ० जी.डी. मेहंदीरत्ता, डीन, कॉमर्स संकाय एवं सदस्य
12. डॉ० हुकम सिंह, डीन, कला संकाय एवं सदस्य
13. श्री रमेश चन्द भारद्वाज, रजिस्ट्रार एवं सदस्य सचिव

बैठक के प्रारम्भ में रजिस्ट्रार श्री रमेश चन्द भारद्वाज द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। अध्यक्ष एवं कुलपति डॉ0 भारत सिंह ने सदस्यों का परिचय देते हुए गत सत्र 2016–17 में विश्वविद्यालय की प्रमुख उपलब्धियों व गतिविधियों की संक्षेप में जानकारी दी। उन्होने बताया कि दो बार विधान सभा सत्र चलने एवं एक बार शासन में कुलपतियों की बैठक होने के कारण प्रबन्ध मण्डल की बैठक तीन बार स्थगित करनी पड़ी। सदस्यों ने यह कहा कि विधान सभा सत्र के दौरान बैठक शनिवार / रविवार को आयोजित की जा सकती है। रजिस्ट्रार ने प्रावधानों के अनुसार बैठक आयोजित करने हेतु आश्वस्त किया।

तत्पश्चात अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्तुत एजेंडा बिन्दुओं पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिये गये।

बिन्दु संख्या 01 -- गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को अवगत कराया कि गत कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 06 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के अपने नियम/विनियम/परिनियम/ऑर्डिनेंस बनाने हेतु गठित समिति के संयोजक प्रोफेसर डॉ0 अशोक शर्मा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। समिति द्वारा अब तक किए गए कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए डॉ0 अशोक शर्मा से अनुरोध किया गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे का कार्य आरम्भ किया जाएगा। अब इस समिति में प्रबन्ध मण्डल के किसी एक सदस्य का मनोनयन भी किया जाना है। इसी प्रकार बिन्दु संख्या 10 के अन्तर्गत स्वीकृत कुछ कार्य होना शेष है जिसे एक माह में पूरा करने को कहा गया। सदस्यों का मत था कि गत कार्यवाही की पुष्टि के लिए 'कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन' (Action Taken Report) एजेंडा के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। रजिस्ट्रार ने आगे से ऐसा करने का आश्वासन दिया।

बिन्दु संख्या 02 – विश्वविद्यालय में वर्तमान सत्र 2017–18 से स्वयं का नवीन पाठ्यक्रम लागू करने के सम्बन्ध में बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा निर्धारित तथा अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित 24 विषयों के पाठ्यक्रम का अनुमोदन।

सदस्यों को यह अवगत कराया गया कि दिनांक 08–09 फरवरी तथा 13–14 फरवरी, 2017 को 24 विषयों के पाठ्यक्रम निर्धारण हेतु अध्ययन मण्डल की दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। अध्ययन मण्डल द्वारा निर्धारित व अभिशंसित पाठ्यक्रम को अकादमिक परिषद की बैठक दिनांक 24.04.2017 में अनुमोदित किया जा चुका है। स्नातक स्तर पर पेपर पैटर्न व अंकन प्रणाली की समानता रखने के सुझाव सहित 24 विषयों के पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया गया। डॉ0 बी.एल. नाटिया ने पाठ्यक्रम की प्रति उपलब्ध कराने के लिए कहा जिसके सम्बन्ध में यह बताया गया कि पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जा चुका है।

निर्णय :– स्नातक प्रथम वर्ष व स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) कक्षाओं के लिए नए पाठ्यक्रम को सत्र 2017–18 से लागू करने के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 03 – सत्र 2017–18 से पीएच.डी. कार्यक्रम का संचालन :–

i– **विश्वविद्यालय में पीएच.डी. कार्यक्रम को नये सत्र से प्रारम्भ करने हेतु प्रबंध मण्डल की गत बैठक में दिये गये निर्देशों की अनुपालना करते हुए कार्यक्रम संचालन का अनुमोदन।**

ii– **पीएच.डी. कार्यक्रम हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना का अनुमोदन।**

iii **रिसर्च बोर्ड के गठन का अनुमोदन।**

र 14/7/14

सदस्यों को यह बताया गया कि गत बोर्ड की बैठक में उपरोक्त कार्यक्रम संचालित करने हेतु दिए गए सुझाव व अलवर जिले के विद्यार्थी संगठनों की मांग पर सत्र 2017–18 से पीएच.डी कार्यक्रम आरम्भ करने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए यूजीसी नियमों के अन्तर्गत आवेदन करने की प्रकिया पूर्ण हो चुकी है। प्रो0 जी.एस. चौहान की सलाह थी कि पीएच.डी. कार्यक्रम यूजीसी के निर्देशों के अनुसार संचालित किया जाए जिस पर सभी ने सहमति प्रकट की।

निर्णय :– प्रस्तावित रिसर्च बोर्ड के गठन सहित पीएच.डी. कार्यक्रम से सम्बन्धित सभी प्रस्ताव अनुमोदित किये गए।

बिन्दु संख्या 04 – निरीक्षण मंडल (BOI) द्वारा सम्बद्धता के सम्बन्ध में सभी निजी अकादमिक, बी.एड. एवं विधि महाविद्यालयों हेतु की गयी अनुशंसाओं का अनुमोदन।

सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि निरीक्षण रिपोर्ट व निरीक्षण मण्डल की अनुशंसाऍ प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रखी जानी चाहिए तथा जिन महाविद्यालयों की निर्धारित मानकों के विरुद्ध रिपोर्ट आये उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए।

निर्णय :– प्रस्तुत सूची के अनुसार सम्बद्धता हेतु निरीक्षण मण्डल (BOI) द्वारा की गई अनुशंसाओं का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 05 – बी.ए. बी.एड./ बी.एससी. बी.एड. चार वर्षीय इन्टेग्रेटेड कोर्स की सम्बद्धता एवं लागू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन।

निर्णय :– एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त चार वर्षीय बी.ए. बी.एड़/बी.एससी. बी.एड़ इन्टेग्रेटेड कोर्स की विश्वविद्यालय से सम्बद्धता एवं उसे लागू करने के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 06 – विधि महाविद्यालयों को सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 (तीन वर्ष) के लिए सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में विचार कर प्रस्ताव को अनुमोदित करना।

सदस्यों को बताया गया कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक F4(15)Plan/CCE/05/Part-II/528 दिनांक 27.12.2016 के तहत विधि महाविद्यालयों को तीन वर्ष के लिए (यदि तीन वर्ष के लिए सम्बद्धता प्रदान करना सम्भव नही हो तो न्यूनतम दो वर्ष के लिए) एक साथ सम्बद्धता प्रदान करने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराया गया कि राजकीय विधि

महाविद्यालय द्वारा 03 वर्ष के लिए शुल्क जमा किया गया है जबकि निजी महाविद्यालयों के द्वारा एक वर्ष के लिए। अतः तदनुसार निर्धारित मानकों के अनुसार जॉच कर सम्बद्धता की कार्यवाही की जाएगी।

निर्णय :— सम्बद्धता सम्बन्धी उक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 07 – महाविद्यालयों की सम्बद्धता शुल्क में प्रति वर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन।

निर्णय :— प्रस्तुत प्रस्ताव का यथावत सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 08 – उत्तर पुस्तिका छपवाई (सैद्धांतिक व प्रायोगिक) के लिए जारी निविदा का अनुमोदन।

निर्णय :— यथा प्रस्तावित निविदा प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 09 –विश्वविद्यालय परीक्षा, 2017 हेतु आई.टी./नॉन आई.टी. की निविदा का अनुमोदन।

निर्णय :— प्रस्तुत निविदा प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 10 – विश्वविद्यालय परीक्षा, 2017 की व्यवस्था हेतु (प्रश्न पत्र परीक्षा केन्द्रों तक पहुँचाना, उत्तरपुस्तिकाएँ भिजवाना तथा परीक्षा के बाद उत्तरपुस्तिकाएँ Cellar तक लाना, फलाइंग स्क्वैड व अन्य आकस्मिक कार्यों हेतु) वाहनों को किराए पर लेने हेतु निविदा का अनुमोदन।

निर्णय :— यथा प्रस्तावित निविदा प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 11 – वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.02.2017 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन।

निर्णय :— वित्त समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 12 – स्पोर्ट्स बोर्ड के अन्तर्गत गत सत्र 2016–17 में आयोजित खेल गतिविधियों, आय–व्यय तथा अन्य प्रस्तावों का अनुमोदन।

श्री धर्मपाल चौधरी मा0 विधायक व अन्य सदस्यों की राय थी कि अन्तर–महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में से चयनित श्रेष्ठ खिलाड़ियों को अन्तरविश्वविद्यालयी प्रतियोगिताओं में भेजने से पूर्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाए जिसका सभी सदस्यों ने समर्थन किया।

निर्णय :– स्पोर्ट्स बोर्ड की बैठक दिनांक 20 अप्रेल, 2017 में लिए गए निणर्यों एवं पारित प्रस्तावों के सन्दर्भ में प्रस्तुत अन्य प्रस्तावों को प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

बिन्दु संख्या 13 – स्वीकृत पदों पर भर्ती एवं नये पदो के सृजन का अनुमोदन

13(i) – विश्वविद्यालय में विभिन्न गैर शैक्षणिक संवर्ग के पूर्व में स्वीकृत पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने के प्रस्ताव का अनुमोदन

निर्णय :– स्वीकृत सभी पदों पर नियमानुसार भर्ती करने के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

13(ii) – गैर शैक्षणिक संवर्ग में नये पदो के सृजन का अनुमोदन

निर्णय :– पूर्व में स्वीकृत पदो के अतिरिक्त नये पदो के सृजन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

मा0 विधायक श्री जयराम जाटव व अन्य सदस्यों ने स्वीकृत पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन शीघ्र जारी करने के लिए सुझाव दिये। सदस्यों ने यह भी सलाह दी कि नए पदों में दो वाहन चालक तथा पी.आर.ओ. के एक पद के लिए भी प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाये।

13(iii) — शैक्षणिक विभाग एवं शैक्षणिक संवर्ग में पदो के लिए राज्य सरकार को भेजे गये प्रस्ताव का अनुमोदन।

निर्णय :— राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.14(30) शिक्षा—4/2012 पार्ट—1 दिनांक 25 जनवरी, 2017 के अनुसरण में विश्वविद्यालय में प्रथम चरण में खोले जाने वाले प्रस्तावित शैक्षणिक विभाग, पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक पदों के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 14 — परीक्षा कार्य हेतु विश्वविद्यालय द्वारा किराए पर लिए गए दूसरे भवन व उसकी प्रति माह किराया दर का अनुमोदन।

निर्णय :— प्रस्तुत प्रस्ताव यथावत सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

बिन्दु संख्या 15 — राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार परीक्षा कार्य से जुडे सभी संवर्ग के कार्मिकों को ओवर टाईम कार्यों की अनुमति।

सदस्यों का मत था कि प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार का अवकाश या ओवर टाईम में से एक रखा जाए। सभी सदस्य इस बात से तो सहमत थे कि परीक्षा कार्य में ओवर टाईम लगभग सभी विश्वविद्यालयों में प्रचलित है। द्वितीय शनिवार व ओवर टाईम के विकल्प में से विश्वविद्यालय उचित निर्णय लें।

निर्णय :— सभी विश्वविद्यालयों में महामहिम राज्यपाल व कुलाधिपति कार्यालय से उपलब्ध कॉमन कैलेन्डर लागू होने के बारे में सदस्यों को अवगत कराया गया। तत्पश्चात सदस्यों द्वारा ओवर टाईम प्रदान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 16 — कुलपति महोदय के उपयोग के लिए वित्त विभाग से स्वीकृत नयी गाड़ी (कार) क्रय करने एवं संविदा पर वाहन चालक (ड्राईवर) रखने के प्रस्ताव का अनुमोदन।

निर्णय :— राज्य सरकार के वित्त (व्यय—1) विभाग की आई.डी. संख्या 101701939 दिनांक 01.05.2017 के अन्तर्गत कुलपति महोदय के उपयोग के लिए प्रस्तावित नई कार (CiazVDI) जिस की अनुमानित लागत मय एसेसरीज, रजिस्ट्रेशन, बीमा आदि के रू0 12 लाख है, विश्वविद्यालय निधि से क्रय करने एवं उक्त कार के नियमित संचालन के

लिए संविदा पर 02 वाहन चालक (ड्राईवर) रखने के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 17 – Best College Award की प्रस्तावित योजना का अनुमोदन।

निर्णय :— प्रस्तुत यथा प्रस्तावित योजना का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 18 – विश्वविद्यालय को आवंटित भूमि पर प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए राज्य सरकार को प्रेषित प्रस्ताव एवं आरएसआरडीसी (लि.) को प्रेषित डीपीआर तैयार करने के प्रस्ताव का अनुमोदन।

निर्णय :— राज्य सरकार को भेजे गये प्रस्ताव व डीपीआर तैयार करने के प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 19 – माननीय सदस्यों को विश्वविद्यालय द्वारा किये जा रहे सम्बद्ध महाविद्यालयों के औचक निरीक्षण की जानकारी कराना।

श्री जयराम जाटव मा0 विधायक ने जिज्ञासा प्रकट की कि औचक निरीक्षण के बाद क्या कार्यवाही की गई। इस पर मा0 कुलपति ने यह बताया कि सम्बन्धित कॉलेजों को चेतावनी देते हुए सुधारात्मक कदम उठाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। सदस्यों ने कहा कि मानकों के अनुसार जो कॉलेज संचालित नहीं किए जा रहे हैं उनके विरूद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाए।

बिन्दु संख्या 20 – अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

1. विश्वविद्यालय के वर्तमान अस्थायी परिसर में वाहन पार्किंग की समस्या को देखते हुए अनुमानित रू0 3.70 लाख की लागत से फाइवरसीट युक्त शेड तथा भू समतलीकरण के कार्यो के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। इस सम्बन्ध में रजिस्ट्रार द्वारा यह बताया गया कि वांछित सूचनाएं उपलब्ध न होने के कारण इस कार्य का प्रस्ताव वित्त समिति की बैठक में अनुमोदित नहीं हो पाया था। विचार विर्मश करने के पश्चात प्रस्तावित पार्किंग के व्यय के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
2. विश्वविद्यालय स्पोट्र्स बोर्ड में माननीय विधायक श्री धर्मपाल चौधरी को चेयरमैन तथा डॉ0 अखिलेश गुप्ता को सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया।

3. स्पोर्ट्स बोर्ड में ही शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के रिक्त पदो के विरूद्ध श्री रविकुमार, अनुदेशक, शारीरिक शिक्षा, देव इन्टरनेशनल कॉलेज, अलवर के मनोनयन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
4. वित्त समिति में अशासकीय सदस्य (Non Official Member) के रिक्त पद पर प्रोफेसर डॉ0 जी.एस. चौहान को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया।
5. विश्वविद्यालय नियम/विनियम/परिनियम/ऑडिनेस निर्माण समिति के संयोजक के रूप में डॉ0 बी.एल. नाटिया को मनानीत किया गया।

बिन्दु संख्या 21 – अन्य सुझाव

1. माननीय विधायक श्री धर्मपाल चौधरी ने यह चाहा कि प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक एमआईटीआरसी, अलवर में आयोजित की जाए जिसे सर्वसम्मति से सहर्ष स्वीकार किया गया।
2. डॉ0 अखिलेश गुप्ता ने प्रस्ताव दिया कि नये पाठ्यक्रम के अनुसार अर्थशास्त्र विषय में प्रायोगिक भाग जोड़ा गया है अतः अर्थशास्त्र में एक दिवसीय सेमीनार आयोजित की जाए तथा समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के अर्थशास्त्र विभाग में कार्यरत प्राध्यापकों को इसमें आंमत्रित किया जाए। सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर सहमति प्रकट की।

अन्त में माननीय कुलपति महोदय द्वारा सभी सदस्यों को उनके रचनात्मक सुझावों व सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ ही प्रबन्ध मण्डल की बैठक सम्पन्न हुई।

र. भोमा
18/8/2017
कुल सचिव

18/8/17
कुलपति